जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय, जहानाबाद।

विविध वाद सं0 — 256/2024

श्रीमती चिन्ता देवी, पति राम सुमिरन शर्मा,
स्थायी पता :— ग्राम बिशुनपुर ओकरी, थाना घोषी, जिला जहानाबाद।

बनाम्

जिला कलेक्टर—सह—समाहर्ता, (भूमि अधिग्रहण), जहानाबाद।

आदेश

20.07.2026 उभयपक्ष की हाजिरी है। अभिलेख इस विविध वाद पर अंतिम आदेश हेतु उपस्थापित किया गया।

प्रस्तुत विविध वाद आवेदिका की ओर से इस आधार पर दाखिल किया गया है कि मौजा विशुनपुर ओकरी (देहाती) मोदनगंज अंचल अन्तर्गत थाना संख्या 513, खाता नं0 69, प्लॉट नं0 331, जो खेसरा सं0 331 रकववा 0.0073 हे0 (1.803 डी0) भूमि एन0एच0 119 डी0 परियोजना (आमस से रामनगर) में अधिगृहित की गई है।

उनके द्वारा आगे कहा गया कि अधिग्रहित की गई जमीन आवेदिका द्वारा खरीदी गई जमीन है। आवेदिका ने यह जमीन कुमार वीरेन्द्र शर्मा से 26.03. 2007 को रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर 1608 के द्वारा खरीदी थी और आवेदिका का उस पर दखल एवं कब्जा है तथा आवेदिका के पक्ष में जमाबंदी है। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि उक्त अर्जित भू—खण्ड के संबंध में एल0पी0सी0 आवेदिका के पक्ष में जारी की गई है। आवेदिका उक्त जमीन की विधिपूर्ण स्वामिनी है तथा उक्त भू—खण्ड के संबंध में दिए गए मुआवजा को प्राप्त करने की भी अधिकारी है। अन्त में उनके द्वारा आवेदिका के पक्ष में मुआवजा की राशि देय करने का निवेदन किया गया।

आवेदिका ने अपने समर्थन में विक्रय पत्र, जमाबन्दी, एल0पी0सी0, लगान रशीद, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छाया प्रतियॉ दाखिल की हैं।

राज्य की ओर से उनके विद्वान ए0जी0पी0 का कथन है कि खाता नं0 69, प्लॉट नं0 331, जो रेवेन्यु थाना नं0 513, मौजा बिशुनपुर ओकरी (देहाती), की 0.0073 हेक्टेयर (1.803 डी0) के अधिघोषित रकवा के विरूद्व 1.80 डी0 मात्र का दखल कब्जा आवेदिका चिन्ता देवी के पक्ष में पाया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि उक्त अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजा के रूप में 76,469.00/—रू0 प्रस्तावित है और उक्त राशि को आवेदिका के पक्ष में दिए जाने पर राज्य को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख व जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त मूल संचिका का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

अवलोकन से विदित होता है कि नेशनल हाईवे—119डी परियोजना अन्तर्गत विशुनपुर ओकरी (देहाती), खाता संख्या 69, खेसरा संख्या 331, का

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय, जहानाबाद।

विविध वाद सं0 – 256/2024

लगातार

20.07.2026 अर्जित रकवा 1.80 डी0 की राशि व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद में जमा की गई है। प्रस्तुत विविध वाद में न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक संख्या 20/2025 द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद से आवेदिका चिन्ता देवी के संबंध में भूमि का ऐरिया, प्रकृति एवं मुआवजा के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी। भूमि अर्जन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक संख्या 841/25, दिनांक 07.07.2025 द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया कि मौजा विशुनपुर ओकरी में थाना संख्या 513 अर्जित खेसरा संख्या 331 के रकवा 0. 0073 हे0 (1.803 डी0) अर्जन हेतु अधिघोषित है। उक्त अधिघोषित कब्जा 1.803 डी0 के विरूद्ध 1.80 डी0 मात्र का दखल कब्जा चिन्ता देवी का पाया गया है।

अभिलेख के अग्रेत्तर परिशीलन से दर्शित होता है कि अभिलेख के साथ गणना तालिका संलग्न है, जिसमें उक्त नापी रकवा 1.80 डी0 के सम्बन्ध में शुद्ध देय राशि 76,469.00/– रूपये उल्लेखित है।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत विविध वाद स्वीकृत किया जाता है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेशित किया जाता है कि आवेदिका चिन्ता देवी द्वारा इस संबंध में आवेदन व आवेदन के साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आशय का शपथ पत्र, अण्डरटेकिंग कि उक्त देय राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदिका की ओर से यदि कोई अनियमितता की गई है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदिका की होगी तथा वह प्राप्त की गई राशि को ब्याज सहित लौटाने के लिए दायित्वाधीन होगी, प्रस्तुत करने पर, वह कुल देय राशि रू0 76,469.00/–(रूपया छिहत्तर हजार चार सौ उनहत्तर) का चेक आवेदिका चिन्ता देवी, पति श्री राम सुमिरन शर्मा, साकिन विशुनपुर, ओकरी, थाना घोषी, जिला जहानाबाद के पक्ष में जारी करेगें।

कार्यालय इस आदेश की एक प्रति को मूल अभिलेख के साथ संलग्न करते हुए मूल अभिलेख को कार्यालय भूमि अर्जन शाखा, जहानाबाद को प्राप्त करायेंगे। तद्नुसार, विविध वाद का निस्तारण किया जाता है।

ह0/–

अरुण कुमार शर्मा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद।

पत्रांक– /2026, दिनांक

प्रतिलिपि– निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी, व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरुण कुमार शर्मा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद।

Web copy

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय, जहानाबाद।
<u>विविध वाद सं0 – 256/2024</u>

प्रतिलिपिः– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Web copy